<u>आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर</u>

श्री विजय पाल राव, न्यायिक सदस्य तथा
श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 529/इंदौर/2023
निर्धारण वर्ष : 2018-19

टेस्ला ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड, 23-ए, इंडस्ट्रीयल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त 3(1), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं- एएबीसीटी 1005 सी PAN- AABCT1005C		

अपीलार्थी की ओर से	कोई नहीं (लिखित निवेदन)
राजस्व की ओर से	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	07.05.2024
उद्घोषणा तिथि	07.05.2024

<u>आदेश</u>

<u>श्री विजय पाल राव, न्यायिक सदस्य द्वारा</u>

निर्धारण वर्ष 2018-19 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), एनएफएसी, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 29.11.2023 के विरूद्ध निदेशित है ।

2. इस अपील के संबंध में निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन दिनांक 30.04.2024 दाखिल किया गया है जिसमें यह निवेदन किया गया है कि निर्धारिती द्वारा निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश के विरूद्ध भूलवश दो अपीलें दाखिल की गई है जो आ.अ.सं. 511/इंदौर/2023 तथा आ.अ.सं. 529/इंदौर/2023 के रूप में पंजीकृत की गई है । अतः निर्धारिती आ.अ.सं. 529/इंदौर/2023 में duplicate appeal को

वापिस लेना चाहता है । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त कारण से आ.अ.सं. 529/इंदौर/2023 को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है ।

3. विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है ।

4. तद्नुसार, हम आ.अ.सं. 529/इंदौर/2023 में अपील जो आ.अ.सं. 511/इंदौर/2023 की duplicate appeal है, को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

4. परिणामतः, आ.अ.सं. 529/इंदौर/2023 में निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती हैं ।

यह आदेश 07.05.2024 को सुनवाई के पश्चात खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया तथा तत्पश्चात लिखित आदेश पारित किया गया ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(बी.एम. बियाणी)	(विजय पाल राव)
लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य

दिनांक : 07.05.2024

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल